न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/2018

विकास पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तह. श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1.कृष्णलाल पुत्र कनीराम जाति जाट नि. मोटासर खूनी तह. श्रीकरनपुर जिला गंगानगर।
2.शकीला पत्नी श्री देवीलाल पुत्री कृष्णलाल जाति जाट नि. 4 के.के. तह.पदमपुर।
3.कविता पत्नी श्री रामलाल पुत्री कृष्णलाल जाति जाट नि. 4 के.के. तह.पदमपुर।
4.सुमन पत्नी श्री अरविंद्र पुत्री श्री कृष्णलाल जाति जाट नि. धोलीपाल, जि.हनुमानगढ।
5.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। —रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर
दिनांक 12.04.2018

उपस्थिति—
अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही।
श्री सतपालसिंह ढिल्लो अभिभावक रेस्पो
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 29/07/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के समक्ष पेश किया।
जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र में अंकित मद सं. 2 से 4 में अंकित भूमि में कृष्णलाल के हिस्सा की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

(A) अप्रार्थी ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित भूमि है जिसका अकेला मालिक अप्रार्थी है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

(B) सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दि. 12.04.18 को कृष्णलाल के नाम दर्ज 2.980 है. भूमि में से 1.550 है. भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वाद पत्र में अंकित भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

2. वकील अपीलांट व अपीलांट के उपस्थित नही आने पर वकील रेस्पों. की एकतरफ बहस सुनी गई।

(i)विद्वान अभिभाषक रेस्पों ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने कृष्णलाल के नाम से दर्ज भूमि में से 1.550 है. भूमि के संबंध में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह उचित है। अपीलांट समस्त भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. वकील रेस्पों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अपीलांट व रेस्पों सं. 1 आपस में पुत्र–पिता है।

(b) अधी. न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। पिता एकमात्र खातेदार है। पुत्र द्वारा पिता के जीवनकाल में, पिता की या पैतृक सम्पत्ति में से पुत्र के हिस्सा पृथक कराने के वाद में स्थगन प्रा.पत्र पर प्रथमतः प्रथम दृष्टया मामला विवेचन पश्चात ही पुत्र के संभावित हिस्से की सीमा तक स्थगन प्रदान किया है जो विधितः व व्यवहारतः अपने निर्णय में स्पष्ट करना चाहिए था।

(c) तत्पश्चात ही स्वयं पुत्र जिसके पक्ष में स्थगन दिया गया, वही इस न्यायालय में बतौर हैसियत अपीलांट सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन चाह रहा है जो सारतः अतार्किक इस्तदुआ है।

(d) पिता रेस्पों. अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधी. न्यायालय के निर्णय से संतुष्टि जाहिर की व पुत्र (अपीलांट) की मांग को अनुचित कहा।

(e) विवादित भूमि अपीलांट के पिता कृष्णलाल के नाम से खातेदारी है। मात्र अपीलांट ने अधी. न्यायालय में वाद व धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश किया। अधी.न्यायालय ने कृष्णलाल की भूमि में प्रथम दृष्टया हिस्सा मानते हुए अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया वादी/अपीलांट का प्रथम दृष्टया हिस्सा निर्धारित कर एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो विधितः उचित नहीं है।

राजस्व अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(f) चुंकि अपीलांट का विवादित भूमि में हक व हिस्सा बनता है या नही, इसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(g) साथ ही स्वयं रेस्पों., अपीलाधीन आदेश से सन्तुष्ट व सहमत है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आश्यकता नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/2/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर